

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-638/दो-6-2018-17-17(30)/99  
लखनऊ : दिनांक: 11 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 अशोक चन्द्र, आई0ए0एस0 को उनके आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2018 के संदर्भ में श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवायें (प्रा0फण्ड) रूल्स-1955 के नियम-12(1(डी) सपठित नियम-13(1)(बी) के अधीन उनके अनुरोधानुसार भवन निर्माण कराने हेतु उनके जी0पी0एफ0 खाता संख्या-आई0ए0एस0यू0-1236 से रू0-20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य) सहित शासन को तीन माह के भीतर उपलब्ध कराया जाय।

अरविन्द कुमार चित्रांशी  
विशेष सचिव।

संख्या-638(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पंजीकृत

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम), फण्ड अनुभाग-1, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में।
- 3- नियुक्ति अनुभाग-5/गार्ड बुक की प्रति/कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग।
- 4- डा0 अशोक चन्द्र, आई.ए.एस. विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(कमला सिंह यादव)

अनु सचिव।